12.8.2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थी सुकीदेवी के वकील उप.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिताए वास्ते एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2014 को अपास्त किया जाने एवं पक्षकार संयोजित कर विधिवत सुनवाई के निर्णय पारित करने पर बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थिनी [illegible] के [illegible] ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि श्री[illegible] के न्यायालय [illegible] उपरोक्त मुकदमा नम्बर 702 का

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादी विचाराधीन था जिसका निर्णय आप श्रीमान द्वारा दिनांक 14.02.2014 को कर दिया गया है। कि मुझ प्रार्थीया की खरीदसुदा खातेदारी भूमि ग्राम धुडीया में आई हुई है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 585 जो खातेदारी भूमि मैने उम्मेदा, दुर्गा पुत्रगण सोना जातियान प्रजापत निवासी धुडीया मातीसिंह से जरिये रजिस्ट्री दस्तावेज के दिनांक 22.06.2004 को खरीद की थी मगर आज दिनांक तक मेरा बैचांन म्युटेशन राजस्वं अभिलेख मे अमल दरामद नंही होनें के कारण उपरोक्त अनवान प्रकरण मे वादीगण द्वारा इसका नाजायज फायदा उठाकर आप श्रीमान के न्यायालय मे उपरोक्त प्रकरण का वाद दायर किया गया वाद दौरान यह खातेदारी भूमि दिनांक 22.06.2004 को मुझ प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्ट्री खरीद कर दी गई थी। कि उपरोक्त अनवान प्रकरण मे वाद दौरान मुझ प्रार्थीया को किसी भी प्रकार कि न तो वाद में पक्षकार बनाया गया न ही मुझे किसी प्रकार से आज दिन तक नोटिस देकर आगाह किया इस कारण मुझ उक्त वाद की जानकारी भी नही रही थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी दुरभीसंधी कर आप श्रीमान के न्यायालय में मेरी बिना जानकारी व मुझ प्रार्थीया को पक्षकार नहीं बनाकर आप श्रीमान को न्यायालय में बाला–बाला दिनांक 14.02.2014 को निर्णय पारित करवा लिया गया जिसकी जानकारी मुझे आज दिन तक नही रही है। विधि का एक सुस्थापित नियम है कि किसी भी पक्षकार का किसी भी विधि द्वारा हित प्रभावित हो रहा है तो उसको नेसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उसको वाद दौरान सुना जावें। आवेदन प्रस्तुतीकरण का हैतुक दिनांक 05.06.2024 को जब मै प्रार्थीया बैंक मे ऋण लेने गई तब मुझे बैंक द्वारा बताया गया की यह भूमि आपकी नहीं है तब मैं प्रार्थीया पटवारी के पास गई तब पटवारी द्वारा मुझे बताया गया की यह जमीन तो प्रागा की पुत्रीयों के नाम न्यायालय के निर्णय से दर्ज है तब मैने आप श्रीमान के न्यायालय मे पता लगाया तो यह जानकारी प्राप्त हुई की वादीगण प्रागा वगैरा द्वारा आप श्रीमान के न्यायालय से निर्णय पारित करवा कर यह जमीन अपनी पुत्रीयों के नाम दर्ज करवा दी है। इ[illegible]र्ष 2004 को पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज उस दिन आ[illegible] अस्तित्व [illegible] किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया [illegible] विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के हित प्रभावित [illegible] रहे है तो उस वाद दौरान पक्षकार सुना जाना आवश्यक है। उपरोक्त अनवान प्रकरण में आप श्रीमान के न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय विधि विरूद्ध जाकर पारित किया गया है क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णय पारित किये गये है कि किसी व्यक्ति के हितों को प्रभावित नही करते हुए शुद्ध

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित किया जावें मगर उपरोक्त अनवान प्रकरण मे यह साफ–साफ जाहिर हो रहा है कि मुझ प्रार्थीया को किसी प्रकार से नही सुना गया है। प्रकरण मे जो निर्णय मातहत अदालत द्वारा पारित किया गया है वह विधि के अनुसार विशुद्ध रूप से पारित किया गया वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है जिस कारण मुझ प्रार्थीया के मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी दुरभिसंधी तय कर मुझ प्रार्थीया की बिना जानकारी मे बाला–बाला एक पक्षीय निर्णय पारित करवा लिया गया। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के अनुसरण में उपरोक्त अनवान प्रकरण मे पारित एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जावें एवं मुझ प्रार्थीया को पक्षकार बनाया जाकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

इसके विपरित वकील विप्रार्थी सुकी देवी पुत्री प्रागा पत्नि मोहनलाल ने अपने जवाब के तथ्यों में कथन किया वादीगण के द्वारा जमाबन्दी के आधार पर दावा पेश किया है और जमाबन्दी में जो पक्षकार थे उसको पार्टी बनाया गया है। प्रार्थीया के द्वारा अपने बैचान पत्र के आधार पर नामान्तरण नही करवाने से जमाबन्दी में नाम नही आया है जो स्वंय प्रार्थीया जिम्मेदार है। नामान्तरण करवाने का कार्य प्रार्थीया का है जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार है। कि जब प्रार्थीया जमाबन्दी में खातेदार ही न है तो पक्षकार बनाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, जमाबन्दी में खातेदारो को ही पक्षकार बनाया जाता है। प्रार्थीया खातेदार नही होने से पक्षकार बनाना सभंव नही है प्रार्थीया ने इतने वर्षों तक अपना नामान्तरण नहीं करवाया है। वादीगण के द्वारा किसी प्रकार से दुरभी संधी नहीं की गई है। कि प्रार्थीया ने द्वारा अपने बैचान दस्तावेज का नामान्तरण नही करवाने से सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज नहीं हो सका जिसके लिये प्रार्थीया ही जिम्मेदार है और जहाँ तक सुनवाई का प्रश्न है तो जबाबन्दी में सहखातेदारो की सुनवाई की जाती है, जो खातेदार ही नही है तो उनकी सुनवाई व पक्षकार बनाना सम्भव नहीं है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में आधार हीन गलत तथ्यो का वर्णन किया है। कि प्रार्थीया सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर [illegible] कार्यवाही करने में सक्षम है। उक्त प्रार्थना–पत्र श्रीमानजी के न्यायालय [illegible] नहीं है। इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का विस्तृत रूप से जवाब पूर्व [illegible] में आ चुका है। प्रार्थीया के वर्णित तथ्य सभी गलत होने से वादी पर [illegible] नहीं होने है और न ही प्रार्थियां डिक्री निरस्त करवाने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थिया सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं मूल पत्रावली तलब करते हुए उस पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। (विप्रार्थीगण) वादीगण (तत्समय वादी प्रागा के वारिसान सूकी व अन्य) द्वारा उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है, जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2014 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। जहां तक उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रार्थिया (गवरीदेवी) द्वारा कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 585 जो खातेदारी भूमि मैने उम्मेदा, दुर्गा पुत्रगण सोना जातियान प्रजापत निवासी धुडीया मातीसिंह से जरिये रजिस्ट्री दस्तावेज के दिनांक 22.06.2004 को खरीद की थी मगर आज दिनांक तक मेरा बैचान म्युटेशन राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद नही होने के कारण उपरोक्त अनवान प्रकरण मे वादीगण द्वारा इसका नाजायज फायदा उठाकर न्यायालय मे उपरोक्त प्रकरण का वाद दायर किया गया वाद दौरान यह खातेदारी भूमि दिनांक 22.06.2004 को मुझ प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्ट्री खरीद कर दी गई थी। जिसके सन्दर्भ में वाद दौरान मुझ प्रार्थीया को किसी भी प्रकार कि न तो वाद में पक्षकार बनाया गया न ही मुझे किसी प्रकार से आज दिन तक नोटिस देकर आगाह किया इस कारण मुझ उक्त वाद की जानकारी भी नही रही थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी दुरभीसंधी कर आप श्रीमान के न्यायालय में मेरी बिना जानकारी व मुझ प्रार्थीया को पक्षकार नहीं बनाकर आप श्रीमान को न्यायालय में बाला–बाला दिनांक 14.02.2014 को निर्णय पारित करवा लिया गया, जिसे अपास्त कर विधिवत उन्हें सुने जाने का प्रश्न है, पर विप्रार्थी वकील के अनुसार वादीगण के द्वारा जमाबन्दी के आधार पर दावा पेश किया है और जमाबन्दी में जो पक्षकार थे उसको पार्टी बनाया गया है। प्रार्थीया के द्वारा अपने बैचान पत्र के आधार पर नामान्तरण नही करवाने से जमाबन्दी में नाम नहीं आया है जो स्वंय प्रार्थीया जिम्मेदार है। नामान्तरण करवाने का [illegible] प्रार्थीया का है जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार है। कि जब प्रार्थीया जमाबन्दी में [illegible]दार ही न है तो पक्षकार बनाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है [illegible] जमाबन्दी में खातेदारो को ही पक्षकार बनाया जाता है। प्रार्थीया खातेदार नही होने से पक्षकार बनाना सभंव नही है प्रार्थीया ने इतने वर्षो तक अपना नामान्तरण नहीं करवाया है एवं जिसके लिए प्रार्थिया सक्षम न्यायालय में जाकर अपील करने के लिए स्वतंत्र है की दलील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सहायक [illegible]
SDO सिणधरी

सं जाकर

है, के अद्यतन में पाया गया कि किसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में विचरण वाद के दौराने किसी प्रकार से किसी विद्यमान प्रविष्टि यथा कोई परिवर्तन इत्यादि का ऐसा कारक जो कि मूल दावे की इस्तदुआ को प्रभावित कर सकता हो अथवा किसी हितबद्व पक्षकार के मौलिक न्याय या अभिलाषा को प्रकट करता हो, तो उसे अपना पक्ष रखने हेतु सुना जाना न्यायिक एवं सैद्वान्तिक दृष्टिकोण से न्यायोचित प्रतीत होता है।

ऐसी स्थिति में आवेदन पत्रावली के अद्यतन एवं मूल पत्रावली के अवलोकन से यह भली–भंति स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा जमाबन्दी के आधार पर दावा पेश किया है और जमाबन्दी में जो पक्षकार थे उसको पार्टी बनाया गया है। प्रार्थीया के द्वारा अपने बैचान पत्र के आधार पर नामान्तरण नही करवाने से जमाबन्दी में नाम नहीं आया है, परन्तु उनके द्वारा अपने कथनों में यह तथ्य कंही पर भी प्रदर्शित नहीं किये गये कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में बैचान दस्तावेजों के संबंध में कोई इस्तदुआ अथवा हक हिस्सा साबित अथवा प्रमाणिकता के बिन्दु पर उसे सुंना जाना आवश्यक है अथवा नही? जहां तक प्रार्थी (गवरीदेवी) की इस्तदुआ का प्रश्न है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि में तत्समय जरिये बैचान दस्तोवज के कयशुदा भूमि के खातेदारी हको के निर्धारण हेतु उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु पूर्व में पारित पिर्णय व डिकी को अपास्त किया जावे, के सन्दर्भ में सैद्वातिंक व प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की मंशा रहती है कि किसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में विचरण वाद के द्वौराने किसी प्रकार से किसी विद्यमान प्रविष्टि यथा कोई परिवर्तन इत्यादि का ऐसा कारक जो कि मूल दावे की इस्तदुआ को प्रभावित कर सकता हो अथवा किसी हितबद्व पक्षकार के मौलिक अधिकार या अभिलाषा को प्रकट करता हो, तो उसे अपना पक्ष रखने हेतु सुना जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी (गवरीदेवी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2014 को इस हद तक अपास्त किया जाता है कि [illegible] रीदेवी को मूल वाद में बतौर पक्षकार (प्रतिवादी) संयोजित कर उन्हे सुनवाई [illegible] अवसर प्रदान किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड कलक्टर
SDO सिणधरी